कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थाना./2020–21 दिनांक–04.01.2021 के तहत् श्री अजय कुमार शर्मा, व्याख्याता–हिन्दी, राउमावि, बाघावास–सांभरलेक, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, टोडारायसिंह, टोंक किया गया। श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं.–597/2021 अजय कुमार शर्मा बनाम सरकार दायर की गई।

उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक–28.01.2021 में यह निर्देश प्रदान किये हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों /परिपत्रों /नियमों के परिपेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री अजय कुमार शर्मा ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, स्थानान्तरित स्थान 206 किमी. दूर होना, सेवाऐं हमेशा उत्कृष्ट रहना, पूर्व के 2 वर्ष में 3 बार स्थानान्तरण हो जाने के आधार पर अपना पदस्थापन 1–राउमावि, मोरीजा–गोविन्दगढ, जयपुर, 2–राउमावि, धिनोई–गोविन्दगढ, जयपुर, 3–राउमावि, रूण्डल–आमेर, जयपुर, 4–राउमावि, बाघावास–सांभरलेक, जयपुर, 5–राउमावि, मलिकपुरा–सांभरलेक, जयपुर में किये जाने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./अजयकुमारशर्मा/597/2021/8 दिनांक– 25/02/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर/टोंक
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर